# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf.durg@gmail.com, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./7597 दुर्ग, दिनांक 27/10/2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छ.ग.नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– कवर्धा जिले के कवर्धा वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु **Telesonic Network Limited** द्वारा **4G OFC Cable Line Dhawaipani to Banjari Village in Bhoramdev Wildlife Sanctuary Kawardha** हेतु क्षेत्रफल 0.719 हे. पंजीयन क्रमांक **(FP/CG/OFC/15844/2022)** बाबत् ।

संदर्भ :– 1) आपका कार्या. पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल.एफ. 115–936A/2436 दिनांक 19.10.2022.
2) व.म.अ.कवर्धा का पत्र क्र./तक.अधि./2491 दिनांक 19.10.2023.

⅄⅄⅄

विषयांतर्गत निवेदन है कि, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार सिनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड, इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रस्ताव तैयार कर डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट सहित प्रस्ताव वनमण्डल कार्यालय, कवर्धा में प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रस्ताव पर वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा द्वारा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर अनुशंसा सहित प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो मूलतः 03 प्रतियों में, पार्ट–2, पार्ट–3 एवं टाईम लाईन सहित संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

27/10
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
27/10/23

पृ.क्रमांक/तक.अधि./7598 दुर्ग, दिनांक 27/10/2023

प्रतिलिपि :– वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

27/10
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
27/10/23

# वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

## भाग—3

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) द्वारा भरा जाना है)

---

14. स्थल जहाँ की वनभूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) ने निरीक्षण किया है। (हॉं/नहीं) यदि हॉं तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

— " नहीं " —

15. क्या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं।

— " सहमत " —

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

**— व्यपवर्तन हेतु मांग की गई वनक्षेत्र 0.719 हे. भूमि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तावित है।**

दिनांक :—27/10/2023
स्थान :— दुर्ग

27/10

(दिलराज प्रभाकर) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

# —:: कार्यालय वनमंडलाधिकारी कवर्धा वनमंडल कवर्धा (छ.ग.) ::—

Tel No.: 232230 E-mail: dfokabirdham@gmail.com

क्रमांक / तक.अधि. / 2491 कवर्धा, दिनांक :— 19/10/2023

E-RECEIPT
क्र....8647....दि. 25/10/2023
शाखा ...
(मु.व.सं.(क्षे) दुर्ग वृत्त
25/10

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :— कवर्धा जिले के कवर्धा वनमंडल, अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु **Telesonic Network Limited द्वारा 4G OFC Cable Line Dhawaipani to Banjari Village in Bhoramdev Wildlife Sanctuary Kawardha हेतु क्षेत्रफल 0.719 हे. पंजीयन क्र. (FP/CG/OFC/154844/2022) बाबत् ।**

संदर्भ :— अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र. / भू–प्रबंध / विविध / एल.एफ–115–936A/2436 दिनांक 19.10.2022 ।

—✡✡✡—

निवेदन है कि विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा प्रस्ताव तैयार कर डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराई गई है। प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है :—

| बिंदु क्र. | संक्षिप्त विवरण | पृष्ठ क्र. |
|---|---|---|
| 1 | आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश). द्वारा कबीरधाम जिला के कवर्धा वनमण्डल क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.719 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है। | 01 से 12 तक |
| 2 | रजिस्ट्रेशन FP/CG/OFC/154844/2022 आवंटित किए गए हैं। रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु आनलाईन एक्नॉलेजमेंट स्लिप की छाया प्रति संलग्न है। | 13 |
| 3 | आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल के भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत वन परिक्षेत्र चिल्फी के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित रकबा आरक्षित वन 0.414 हे., संरक्षित वन 0.305 हे., कुल आवेदित वन भूमि रकबा 0.719 हे. है। | 14 से 15 तक |
| 4 | कवर्धा वनमण्डल के भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत वन परिक्षेत्र चिल्फी अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु गैर वनक्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। | 16 |
| 5 | प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है। | 17 से 21 तक |
| 6 | प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है। | 22 से 24 तक |
| 7 | आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के वन परिक्षेत्र चिल्फी अन्तर्गत वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.719 हे. का चयन किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य हैं। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गों के राईट ऑफ वे में किया जाना है अतः इसमें वृक्ष विदोहन नही होना है। कबीरधाम जिला के क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से सम्पादित होंगे। | 25 से 30 तक |

| | | |
|---|---|---|
| 8 | आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के वन परिक्षेत्र चिल्फी में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं आदिवासी अंचल के लोग मोबाईल फोन एवं इंटरनेट के माध्यम से देश एवं दुनिया से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कबीरधाम जिले के परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत धवईपानी से चिल्फी तक मुख्य मार्ग के 14.380 कि.मी. 4जी समांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाना है ताकि इस मार्ग के आस पास की सभी आबादी इस सुविधा से लाभान्वित हो सके। इस हेतु कवर्धा वनमंडल भोरमदेव वन्यप्राणी अभ्यारण्य के परिक्षेत्र चिल्फी अंतर्गत तक मुख्य सड़क के समानांतर 14.380 कि.मी. 4जी ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 0.719 हे. प्रस्तावित है। जिसमे कवर्धा वनमंडल के भोरमदेव अभ्यारण्य के अंतर्गत परिक्षेत्र चिल्फी अंतर्गत धवईपानी से बंजारी के आरक्षित वनभूमि रकबा 0.414 हे., संरक्षित वनभूमि रकबा 0.305 हे. तथा राजस्व वनभूमि रकबा 0.000 कुल रकबा 0.719 हेक्टर आवश्यक है। | 32 |
| 9 | प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस संबंध में की जा रही वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम हैं। प्रमाण पत्र संलग्न है। | 32 |
| 10 | इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरुध्द किसी भी प्रकार के अधिनियम उल्लघंन की गई कार्यवाही प्रस्तावित नही है। | 33 |
| 11 | वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा :–<br><br>भाग–1 – आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कवर्धा वनमण्डल भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के वन परिक्षेत्र चिल्फी क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वन भूमि रकबा 0.719 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है। उपरोक्त केबल रूट 0.50 मीटर की चौड़ाई एवं 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना हैं।<br>भाग–2 – कवर्धा वनमण्डल के भोरमदेव अभ्यारण्य अन्तर्गत वन परिक्षेत्र चिल्फी के वन भूमि में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित आरक्षित वन 0.414 हे., संरक्षित वन 0.305 हे., राजस्व वन 0.000 हे., कुल आवेदित वन भूमि रकबा 0.719 हे. प्रस्तावित है। आवेदित भूमि में ऑप्टिकल फाइबर केबल मार्ग के राईट–ऑफ–वे में किया जाना है। जिसमे किसी भी प्रकार के वृक्ष का विदोहन शामिल नहीं है तथा मार्ग के किनारे राईट–ऑफ–वे में वृक्ष विद्यमान नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र भोरमदेव अभ्यारण के अंतर्गत है। 10 कि.मी. की परिधि में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तथा अन्य एतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। शासन के निर्देशानुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है। | 34 से 40 तक |
| 12 | आवेदित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है। | 41 |
| 13 | कबीरधाम जिला क्षेत्रांतर्गत बोड़ला ब्लॉक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है। | 42 से 46 तक |
| 14 | कबीरधाम जिले की कुल वन भूमि रकबा 158830.00 हे. है। | 47 |
| 15 | व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत 19 प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 1206.651 हे. है। | 48 |
| 16 | व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी के 04 प्रकरणों मे कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा 13.579 हे. है। | 49 |
| 17 | प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में भोरमदेव अभ्यारण स्थित है तथा 10 कि.मी. की परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान, हाथी कॉरिडोर, वन्यप्राणी अभ्यारण्य प्रस्तावित नहीं है एवं ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है। | 50 |

| | | |
|---|---|---|
| 18 | आवेदित क्षेत्र के लिए वन अधिकार सम्बन्धी प्रमाण पत्र कलेक्टर कबीरधाम द्वारा जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है। | 51 से 53 तक |
| 19 | आवेदित क्षेत्र में राजस्व वन भूमि सम्मिलित नहीं है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कबीरधाम द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है जो प्रस्ताव में संलग्न है। | 54 से 56 तक |
| 20 | पंजीयन शुल्क तथा प्रस्संकरण (प्रोसेसिंग) शुल्क कुल राशि 35000 रूपये जमा कर दिया गया है। जिसे जिला कोषालय में चालान नम्बर 41 दिनांक 14.07.2022 द्वारा वन मण्डलाधिकारी कवर्धा के पी. डी. खाते में जमा कर दिया गया है। | 57 से 59 तक |
| 21 | प्रस्तावित वन भूमि भोरमदेव वन्यप्राणी अभ्यारण्य के अंतर्गत आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर की अनुशंसा की आवश्यकता है। | 60 |
| | डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट एवं मैप सी.डी.सहित | 61 से 84 तक |

प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के वेब साइट में parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है। उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुरूप समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर अनुशंसा सहित प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव 04 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

सहपत्र :— 01. प्रस्ताव 04 प्रतियों में एवं
02. ऑनलाईन पार्ट—2 तथा टाईम लाईन

वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल, कवर्धा

पृ.क्र./तक.अधि./2492 कवर्धा,दिनांक :— 19/10/2023

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र./भू—प्रबंध/विविध/एल.एफ—115—936A/2436 दिनांक19.10.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदंती—सीतानदी टायगर रिजर्व छ0ग0रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. Telesonic Networks Limited.3rd & 4th Floor, Scheme No. 54, A.B. Road, Metro Towers, Near Vijay Nagar Square, Indor (MP) 452010 की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
कवर्धा वनमण्डल कवर्धा

## एफ.एम.आई.एस.रायपुर द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस. (के.एम.एल.फाईल/सेफ फाईल) से मिलान का सत्यापन

आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमण्डल के भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के वन परिक्षेत्र चिल्फी के अंतर्गत धवईपानी से चिल्फी में आरक्षित वन भूमि 0.414 हे. , संरक्षित वनभूमि रकबा 0.305 हे., राजस्व भूमि रकबा 0.000 हे. तथा नारंगी क्षेत्र 0.000 हे. अर्थात कुल वन भूमि रकबा 0.719 हे. में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रभावित वनभूमि का एफ.एम.आई.एस. रायपुर द्वारा प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस. (के.एम.एल.फाईल/सेफ फाईल) से मिलान किया गया, जो सही पाया गया ।

## आवेदित वनभूमि विवरण का सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र

आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी सिनियर प्रोजेक्ट मेनेजर, टेलीसोनिक नेटवर्क्स प्रायवेट लिमिटेड इंदौर (मध्य प्रदेश) द्वारा कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमण्डल के भोरमदेव अभ्यारण्य क्षेत्र के वन परिक्षेत्र चिल्फी के अंतर्गत धवईपानी से चिल्फी में आरक्षित वन भूमि 0.414 हे. , संरक्षित वनभूमि रकबा 0.305 हे., राजस्व भूमि रकबा 0.000 हे. तथा नारंगी क्षेत्र 0.000 हे. अर्थात कुल वन भूमि रकबा 0.719 हे. में ऑप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 0.719 हे. का सत्यापन DGPS सर्वे डाटा (Kml file/Shape File) का मिलान कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया जो सही पाया गया।

**चन्द्रशेखर नेताम**
(कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी)
कवर्धा वनमंडल कवर्धा

चूड़ामणि सिंह (भा.व.से.)
वनमंडलाधिकारी
कवर्धा वनमंडल कवर्धा
वन मण्डलाधिकारी
कवर्धा वन मण्डल, कवर्धा